(श्री शिवनाथ सिंह)

श्रपनी चीज की रीजनेबल प्राइस मिल जायेगी ।]

मैं समझता हूं कि ऐसा करना श्रासान नहीं है । पीछे सरकार ने व्हीट का टेक-श्रोवर करके इस दिशा में प्रयत्न किया था । मैं यह तो नहीं कहता कि हमारा वह एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वह पूरी तरह सफल नही हो सका है । लेकिन फिर भी सरकार को इस दिशा में लगातार प्रयत्न करना चाहिए कि किसान को अपनी प्रोड्यूस की रीजनेबल प्राइस मार्केट में एफ़ोर्ड हो जाये ।

जो नई खाद्य नीति पेश की गई है, उस में भी कई प्रकार की दिक्कतें पैदा होने की सम्भावना है । यह कहा गया है कि गवर्नमेंट हो या होलसेलर हो, प्रोड्यूसर से मार्केट में 105 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जायेगा, और सरकारी मशीनरी के द्वारा या फ्री मार्केट मे 150 रुपये क्विंटल की मैक्सिमम प्राइस पर बेचा जा सकेगा । मेरी समझ में नही आता है कि इससे प्राइस का कंट्रोल या फ़िक्सेशन कैसे हो सकेगा । जब हम सरकारी दुकानों की मार्फ़त 132 रुपये क्विंटल पर बेचने की सोचते हैं, तो फिर हम यह नहीं कह सकते कि व्यापारी किसान से 105 रुपये क्विंटल में खरीद पायेगा । जब व्यापारी 135, 140 या 150 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदेगा, तो यह सम्भव नही हो सकता है कि वह ईमानदारी से 105 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूं को सरकारी गोदाम में जमा करायेगा । थ्योरी में यह सम्भव हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस में वह सम्भव प्रतीत नहीं होता है । जिस तरह भी हो सके, मिडिलमैन को एवायड करना चाहिए, वर्ना प्राइसिमज को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा ।

इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि दस एकड़ से नीचे वाले किसान को अमुक अमुक सहूलियतें दी जायें, जैसे उसके लिए इलैक्ट्रिसिटी का रेट दस पैसे से अधिक न हो । यह भी कहा गया है कि फूडग्रेन्ज की प्राइसिस में 15 परसेंट से ज्यादा फ्लक्चूएशन न हो । मैं समझता हूं कि आज यह प्रैक्टिकल नहीं है । किसान को बिजली के लिए दस पैसे के बजाये बीस पैसे भी देना पड़े, लेकिन अगर वह कास्ट आफ़ प्राडक्शन में शामिल हो जाता है, तभी हम कह सकते हैं कि किसान को कोई फ़ायदा हुआ है ।

मैं प्रस्ताव की भावना का समर्थन करता हूं, लेकन इसमें कई इमप्रैक्टिकेबल बातें हैं, जिनको कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है । लेकिन फिर भी सरकार को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए । हमारा सिद्धान्त यह होना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति पैदा करें, जिसमें किसान अपनी पैदावार का भाव खुद तय कर सके, ताकि कनज्यूमर को भी वह ठीक दाम पर मिले ।

17.55 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FORTY-SECOND REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): Sir, I beg to present the Forty-second Report of the Business Advisory Committee.

RESOLUTION RE. POLICY IN RESPECT OF PRICES AND AGRICULTURAL PRODUCTION—*Contd.*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): Since Shri C. K. Chandrappan is not here, to raise the half-an-hour discussion, you may call some more Members to speak on Shri Limaye's resolution.

SHRI B. V. NAIK: On the very face of it, this resolution appears to be a well-meaning one, but as has been stated elsewhere, the road to